**Extension of Timelines (PARs 2025-26)**

**संख्या-8/2026/I/1383035/2026-02-5099/43/2025**

प्रेषक,

विजय कुमार
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश,शासन।
3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5- आई0ए0एस0 संवर्ग के शेष समस्त अधिकारी (नाम से)

**नियुक्ति अनुभाग-5** लखनऊः दिनांकः 02.07.2026

विषयः- आई0ए0एस0 अधिकारियों की वर्ष 2025-2026 की APAR (वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) पूर्ण किये जाने हेतु समय-सीमा बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली के पत्र F.No.11059/04/2025-AIS-III, दिनांक 30.06.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से AIS (PAR) Rules, 2007 की अनुसूची-II के साथ पठित नियम-5(1) के प्राविधान एवं 7A के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए recording of PARs for the year 2025-26 हेतु छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है।

2- अतः इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 30.06.2026 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के उपरोक्त निर्देशों का संज्ञान लेते हुए कृपया वर्ष 2025-26 की **APAR** का **निम्नानुसार निर्धारित समय-सीमा (संशोधित)** के अंतर्गत अपना मंतव्य अंकित कर **APAR** समयबद्ध रूप से पूर्ण/अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें:-

| Activity | Cut off dates | | |
|---|---|---|---|
| | Existing | Revised vide letter dated 29th April, 2026 | Further Revision |
| Self appraisal for | 31st May, 2026 | 30th June, 2026 | 31st July, 2026 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| current year | | | |
| Appraisal by Reporting Authority | 31st July, 2026 | 31st August, 2026 | **15th September, 2026** |
| Appraisal by Reviewing Authority | 30th September, 2026 | 31st October, 2026 | **15th November, 2026** |
| Appraisal by Accepting Authority | 31st December, 2026 | 31st December, 2026 | 31st December, 2026 |

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(विजय कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सुश्री कविता चौहान, अवर सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ, ब्लाक, नई दिल्ली को उनके पत्र F.No.11059/04/2025-AIS-III, दिनांक 30.06.2026 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक स0अ0/स0अधि0 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त को शासनादेश को ऑन-लाइन भी अपलोड करना कृपया सुनिश्चित करें।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/

(विजय कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ई-मेल

Extension of timelines (PARs- 2025-26)

संख्या:I/1383035/2026

प्रेषक,

विजय कुमार
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव/विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,उ0प्र0।
5- आई0ए0एस0 संवर्ग के शेष समस्त अधिकारी (नाम से)

नियुक्ति अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक:02-07-2026

**विषय:-** आई0ए0एस0 अधिकारियों की वर्ष 2025-26 की APAR (वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) पूर्ण किये जाने हेतु समय-सीमा बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली के पत्र संख्या- F.No.11059/04/2025-AIS-III, दिनांक 30.06.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से AIS (PAR) Rules, 2007 की अनुसूची-I। के साथ पठित नियम-5(1) के प्राविधान एवं 7A के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए recording of PARs for the year 2025-26 हेतु छूट प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है।

2- अतः इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 30.06.2026 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के उपरोक्त निर्देशों का संज्ञान लेते हुए कृपया वर्ष 2025-26 की APAR पर निम्नानुसार निर्धारित समय-सीमा (संशोधित) के अन्तर्गत अपना मन्तव्य अंकित कर APAR समयबद्ध रूप से पूर्ण/अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें:-

| Activity | Cut off dates | | |
|---|---|---|---|
| | Existing | Revised vide letter dated 29th April,2026 | Further Revision |
| Self appraisal for current Year | 31st May, 2026 | 30th June, 2026 | **31st July,2026** |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Appraisal by Reporting Authority | 31st July, 2026 | 31st August, 2026 | **15th September,2026** |
| Appraisal by Reviewing Authority | 30th September, 2026 | 31st October, 2026 | **15th November,2026** |
| Appraisal by Accepting Authority | 31st December, 2026 | 31st December, 2026 | 31st December,2026 |

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,
Digitally signed by VIJAY KUMAR
Date: 02-07-2026 17:06:35
(विजय कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- सुश्री कविता चौहान, अवर सचिव, कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या-F.No.11059/04/2025-AIS-III, दिनांक 30.06.2026 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

2- सहायक स0अ0/स0अधि0 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश को आन-लाइन भी अपलोड कराना कृपया सुनिश्चित करें।

3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(विजय कुमार)
विशेष सचिव।

**F. No.11059/04/2025-AIS-III**
**Government of India**
**Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions**
**Department of Personnel & Training**
****

Kartavya Bhavan - 03, New Delhi
Dated: 30th June, 2026

To,

The Chief Secretaries of States / UTs

**Subject:- Extension of timelines for recording of PARs for the year 2025-26 in respect of AIS (IAS/IPS/IFS) officers by the Reporting / Reviewing / Accepting Authorities only - reg.**

Sir / Madam,

I am directed to refer to DoPT's letter dated 29th April, 2026, regarding extension of timelines for recording of PARs for the year 2025-26. In this regard, it has been decided with the approval of the Competent Authority to further extend the timelines for recording PAR for the year 2025-26 as mentioned in the table below, in relaxation of Rule 5(1) read with Schedule 2 of AIS (PAR) Rules, 2007 and 7A so as to give sufficient time to each authority, as indicated below: -

| Activity | Cut off dates | | |
|---|---|---|---|
| | Existing | Revised vide letter dated 29th April, 2026 | Further Revision |
| Self Appraisal for current year | 31st May, 2026 | 30th June, 2026 | **31st July, 2026** |
| Appraisal by Reporting Authority | 31st July, 2026 | 31st August, 2026 | **15th September, 2026** |
| Appraisal by Reviewing Authority | 30th September, 2026 | 31st October, 2026 | **15th November, 2026** |
| Appraisal by Accepting Authority | 31st December, 2026 | 31st December, 2026 | 31st December, 2026 |

3. Notwithstanding anything contained herein, no remarks may be recorded after 31st December, 2026 in the PAR of AIS officers for the PAR year 2025-26, in accordance with the 2nd proviso of Rule 5(1) of AIS (PAR) Rules, 2007, as amended.

4. The aforesaid relaxation is accorded as a onetime measure only.

Yours faithfully,

Chauhan

(Kavita Chauhan)
Under Secretary to the Government of India
Tel: 011 - 2401 0416

30/06/2026

Copy for information and necessary action to :-

1. All Ministries /Departments of Government of India.
2. Ministry of Home Affairs, being Cadre Controlling Authority for IPS, Kartavya Bhavan - 03, New Delhi.
3. Ministry of Environment, Forest & Climate Change, being Cadre Controlling Authority for IFoS, Lodhi Road, Jor Bagh, New Delhi
4. The Under Secretary, EO(PR) Section, DOP&T - for information and necessary action.
5. NIC, DOPT - for uploading on DOP&T's website